



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 1548/2012.....जिला.....अलवर.....

उनवान- श्री राठी (दक्षिण) स्टील्स लि., खुशखेडा, भिवाडी बनाम उपायुक्त (अपील्स), अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2016	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मदन लाल-सदस्य श्री मनोहर पुरी-सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा का प्रार्थना पत्र प्राप्त। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी जरिये वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम 2016 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है। विभागीय पैरोकार की सहमति प्राप्त।</p> <p>अतः अपीलार्थी जरिये अभिभाषक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </div> </div>	